आपको अधिकार प्राप्त हैं!

आप्रवासन स्थिति को ध्यान में रखे बिना,
आपको इसका अधिकार है:

- प्रशिक्षण की अवधि सहित, काम करने के सभी घंटों के लिए भुगतान किया जाने का
- कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाने का, ओवरटाइम का भुगतान किया जाने का और नियमित रूप से भुगतान किया जाने का (आमतौर पर साप्ताहिक या द्विवार्षिक)
- अपने वेतन से होने वाली कटौती को जानना, और पूर्व लिखित सहमति के बिना कभी भी कटौती नहीं करवाने का
- भेदभाव, यौन उत्पीड़न और शोषण से मुक्त सुरक्षित वातावरण में काम करने का
- प्रतिशोध के डर के बिना NYS श्रम विभाग से मदद माँगने का

अपनी रक्षा कीजिये!
इनका रिकॉर्ड रखें:

- आपके द्वारा काम किए गए दिन और घंटे
- आपको कब और कितना भुगतान किया गया
- काम के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और समय (चोट, धमकी या संघर्ष), और आपने उन्हें किसके लिए रिपोर्ट किया

P746.2 H (1/19)

जर्बदस्ती श्रम कराना एक अपराध है!

यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह आपके अधिकारों का आपराधिक उल्लंघन हो सकता है:

- आप से कहा जाए कि आपको कर्ज़ चुकाने के लिए काम करना होगा
- आपसे कहा जाए कि आपके नियोक्ता आपका पासपोर्ट या पहचान पत्र ले लेंगे
- आपको किसी ऐसे लाभ का वचन दिया जाए जो आपको प्राप्त न हो, जैसे कि ग्रीन कार्ड या पैसे
- धमकी दी जाए कि अगर आप काम न करें तो आप्रवासन या इमिग्रेशन या पुलिस को बुलाया जाएगा
- धमकी दी जाए कि आपको या आपके परिवार को नुकासन पहुँचाया जाएगा
- वास्तव में आपको नुकसान पहुँचाया जाए, या आपके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुँचाया जाए

अपने अधिकारों, और क्या सहायता उपलब्ध है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी की 24 घंटे की हॉटलाइन **888.373.7888** पर या DIPA की हॉटलाइन **877.466.9757** पर कॉल करें।

आप **trafficking@labor.ny.gov** पर ईमेल भेज सकते हैं या फिर **917.692.7215** पर टेक्स्ट भेज सकते हैं।

NEW YORK STATE OF OPPORTUNITY.

Department of Labor
Division of Immigrant Policies & Affairs

888.469.7365 | www.labor.ny.gov | @nyslabor

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग एक समान अवसर नियोक्ता / कार्यक्रम है। दिव्यांग लोगों के अनुरोध पर सहायक सहायता और सेवाएँ उपलब्ध हैं।